उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या : 95 –काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 18–13 काविनी एवं वे0प्र0 / 09 दिनांक : 25 जनवरी, 2019

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर– I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

विषय :– सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के सम्बन्ध में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश है कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ए०सी०पी०) की व्यवस्था लागू किये जाने विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–वे0आ0–2–773 / दस–62(एम) / 2008 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 को अंगीकृत करते हुए कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–55–काविनी एवं वे0प्र0–29 / 17–13–काविनी एवं वे0प्र0 / 09 दिनांक 12.01.2017 द्वारा तत्सम्बन्धित आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

2. सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ए०सी०पी०) के अन्तर्गत प्रथम सीधी भर्ती के पद के ग्रेड वेतन से तीन उच्च ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश सं0– वे0आ0–2–773 / दस–62(एम) / 2008 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में निर्धारित तत्सम्बन्धित प्राविधानों के अनुक्रम में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश सं0–08 / 2015–वे0आ0–2–190 / दस–62–(एम) / 2008 टी0सी0–1 दिनांक 03.03.2015 एवं शासनादेश सं0–50 / 2015–वे0आ0–2– 871 / दस– 62–(एम) / 2008 दिनांक 26.08.2015 निर्गत किये गये हैं।

3. उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधान कारपोरेशन कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में प्रभावी किये जाने हेतु अंगीकृत करते हुए एतद्द्वारा निम्नवत् आदेश जारी किये जाते हैं :–

19 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन (3rd ACP) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

ऐसे पदधारक जिन्हें ए0सी0पी0 की व्यवस्था विषयक कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–55–काविनी एवं वे0प्र0–29 / 17–13–काविनी एवं वे0प्र0 / 09 दिनांक 12.01.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के कारण सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 19 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के बावजूद सीधी भर्ती के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से तीसरे वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य ग्रेड वेतन वास्तविक पदोन्नति / समयबद्ध वेतनमान / ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के बावजूद नहीं मिल पाया है उन्हें कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–175–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 09–17–काविनी एवं वे0प्र0 / 08 दिनांक 19 फरवरी, 2009 में उपलब्ध सीधी भर्ती के पद के ग्रेड वेतन से तीसरा उच्च ग्रेड वेतन सीधी भर्ती के पद

(क्रमशः...2)

38

पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 19 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 19.02.2009, जो भी बाद में हो, से स्वीकृत किया जायेगा। सीधी भर्ती के पद का आशय उस पद से है जिस पर सम्बन्धित कार्मिक सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त हुआ हो।

कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–55–काविनी एवं वे0प्र0–29 / 17–13–काविनी एवं वे0प्र0 / 09 दिनांक 12.01.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

14 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन (2nd ACP) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

ऐसे पदधारक जिन्हें ए0सी0पी0 की व्यवस्था विषयक कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–55–काविनी एवं वे0प्र0–29 / 17–13–काविनी एवं वे0प्र0 / 09 दिनांक 12.01.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के कारण सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 14 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के बावजूद सीधी भर्ती के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से दूसरे वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य ग्रेड वेतन वास्तविक पदोन्नति / समयबद्ध वेतनमान / ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के बावजूद नहीं मिल पाया है उन्हें कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–175–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 09–17–काविनी एवं वे0प्र0 / 08 दिनांक 19 फरवरी, 2009 में उपलब्ध सीधी भर्ती के पद के ग्रेड वेतन से दूसरा उच्च ग्रेड वेतन सीधी भर्ती के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 14 वर्ष सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 19.02.2009, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। सीधी भर्ती के पद का आशय उस पद से है जिस पर सम्बन्धित कार्मिक सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त हुआ हो।

कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–55–काविनी एवं वे0प्र0–29 / 17–13–काविनी एवं वे0प्र0 / 09 दिनांक 12.01.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (काविनी)

सं0– 95 –(1)–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2019 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ / मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(क्रमशः...3)

8. उप महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
16. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (काविनी)